प्रेसनोट – 02.09.2026

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 5,000 /- रु० के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ० प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0 642/2015 धारा- 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 02.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट नं0 2, मऊ द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त विरेन्द्र हरिजन पुत्र स्व0 नरायन निवासी ग्राम खालसा कानून गोयान चक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 02.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 33 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1430 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 327 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 01 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।